दिनांक 18.03.2024 को डा० डी० आर० सिंह, माननीय कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों में नवनियुक्त विषय वस्तु विशेषज्ञों ओरिन्एटेशन कार्यशाला (18–22 मार्च 2024 तक) के अवसर पर मार्गदर्शन

दिनांक 18 मार्च, 2024 को प्रारम्भ हुये कृषि विज्ञान केन्द्रों में नवनियुक्त विषय वस्तु विशेषज्ञों के ओरिएन्टेशन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में डा० डी० आर० सिंह, माननीय कुलपति महोदय द्वारा नवनियुक्त विशेषज्ञों को स्नेहिल आशीष दिया गया और कृषि विज्ञान केन्द्र में उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया गया–

1. कृषि विज्ञान केन्द्र के सभी विशेषज्ञों एवं कर्मियों द्वारा किसानों की सहायता एवं सहयोग पवित्र उद्देश्य के रूप में किया जाय।
2. सभी विषय वस्तु विशेषज्ञ, तथा केन्द्र के प्रधान द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के Mandate का अनुपालन पूरी तरह से किया जाय।
3. सभी विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रक्षेत्र वैज्ञानिकों (Farm Scientist) के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करें।
4. विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिकों सहित कृषि विज्ञान केन्द्रों के विशेषज्ञ, महिला सशक्तीकरण को मिशन के रूप में लेकर कार्य करें।
5. सभी विषय वस्तु विशेषज्ञ अपना 50 प्रतिशत समय कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रक्षेत्र एवं किसानों के खेतों में जाकर उनका कौशल उन्नयन करने में उपयोग करें।
6. प्रत्येक विषय वस्तु विशेषज्ञ के पास अपने पदस्थापन जिले की भौगोलिक स्थिति (Demography of The District) की पूर्ण जानकारी हो और उसे हमेशा अद्यतन रखा जाय।
7. विश्वविद्यालय में विकसित उन्नत कृषि तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा हस्तान्तरण किसानों के खेतों पर किया जाय। साथ ही अन्य संस्थानों की उन्नत तकनीकों का व्यवहार के लिये किसानों को जागरूक किया जाय।
8. किसानों के प्रक्षेत्र की व्यावहारिक समस्याओं को प्रयोगशाला तक पहुँचाना तथा प्रयोगशाला में किये गये कृषि की समस्याओं के समाधान को किसानों के खेतों तक पहुँचाना सभी कृषि विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञों की जिम्मेवारी होगी।
9. कृषि विज्ञान केन्द्र, सरकारी/सहकारी संस्थाओं की मदद से अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें तथा चयनित गाँव में 03 वर्ष तक कार्य करने के बाद दूसरे गाँव का चयन किया जाय।
10. सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अधिक से अधिक उपयोग करके कृषि की उन्नत तकनीकों का त्वरित हस्तान्तरण किया जाय।
11. सभी कृषि विज्ञान केन्द्र, सूचना संचार तकनीक तथा जिला स्तर पर कार्य कर रहे संगठनों की सहायता प्राप्त करें और एक वर्ष में कम से कम 1.00 लाख किसानों को तकनीकी लाभ प्रदान करें।

18/3/24

12. प्रत्येक विषय वस्तु विशेषज्ञ, किसानों के प्रक्षेत्र का भ्रमण करने के उपरान्त किसानों के (Feedback) का संकलन करें और उसके आलोक में अपनी कार्य योजना को उच्चीकृत (Upgrade) करें।
13. प्रत्येक विषय वस्तु विशेषज्ञ द्वारा कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों के Technological Gap की पहचान की जाय तथा उसे दूर करके उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाने में किसानों को सहयोग किया जाय।
14. कुपोषण जैसी सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए पोषण सुरक्षा कार्यक्रम को अक्षरसः चयनित ग्राम में क्रियान्वित किया जाय।
15. प्रक्षेत्र उत्पादकता (Land Productivity) को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की व्यावहारिक तकनीकों का अनुप्रयोग किया जाय।
16. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा विश्वविद्यालय के Flagship Programme का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।
17. मोटे अनाज की उपयोगिता पर गहन अध्ययन करके उसके प्रसंस्करण तकनीक का ज्यादा से ज्यादा प्रसार किया जाय।
18. Artificial Intelligence (AI) का ज्यादा से ज्यादा व्यावहारिक उपयोग किया जाय और उसके माध्यम से बड़े स्तर पर किसानों को लाभान्वित किया जाय।
19. प्रत्येक विषय वस्तु विशेषज्ञ, द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के वार्षिक कार्य योजना के आलोक में प्रति दिन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसका अनुपालन किया जाय।
20. प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में "Farm Science Centre" को स्पष्ट रूप से बड़े बोर्ड पर लिखकर केन्द्र के मुख्य स्थल पर स्थापित किया जाय।
21. "किसान कॉल सेन्टर" (**Toll Free**: **180003456455**) एवं BAU Agro-Doctor (**7004528893**) का सम्पर्क सूत्र (नम्बर) प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में बड़े–बड़े अक्षरों में लिखकर टाँगा जाय या दिवार में लिखवाया जाय।
22. प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा कम से कम एक व्यावसायिक उत्पादन इकाई विकसित की जाय ताकि बड़े स्तर पर किसानों को कृषि उपादान का लाभ प्रदान किया जा सके।
23. कृषि विज्ञान केन्द्र में 10–15 प्रत्यक्षण इकाई (Demonstration Unit) स्थापित करके उसे क्रियाशील किया जाय। मुर्गीपालन, बकरी पालन, वर्मीकम्पोस्ट आदि को ज्यादा बढ़ावा दिया जाय।
24. कृषि विज्ञान केन्द्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ प्रत्येक 03 महीने पर एक शोधपत्र अवश्य प्रकाशित करें।
25. कृषि विज्ञान केन्द्रों में Externally Funded Project लाने के लिये सभी विषय वस्तु विशेषज्ञ सार्थक प्रयास करें।
26. प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा, बिहार की विरासत (फसल/उत्पादन/अन्य सामग्री) को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान (GI Tag) दिलाने के लिये नये सिरे से प्रयास किया जाय।
27. प्रत्येक विषय वस्तु विशेषज्ञ हर सप्ताह एक–एक Popular Article/ कृषि की समसामयिक जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का प्रयास करें ताकि किसानों के बड़े वर्ग को लाभ मिल सके।

28. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के 54 उत्पाद/ वनस्पतियों, सामग्रीयों को Geographical Indicator में पंजीकृत करने के लिये चिन्हित किया गया है। उक्त के लिये सभी विशेषज्ञ स्थानीय साहित्य का अध्ययन करें और उसे एकत्र करें तथा उसका भौगोलिक आधार भी ढूंढे।

29. सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों का परिसर पूर्ण रूप से जीवन्त दिखना चाहिए। कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का डाटाबेस तैयार किया जाय और उसकी गणना के आधार पर फसल पद्धति विकसित कटने की कारवाई की जाय।

30. प्रत्येक विषय वस्तु विशेषज्ञ एक वर्ष में एक उत्पाद अवश्य विकसित करें। विषय वस्तु विशेषज्ञ के लिए, प्रतिष्ठित जरनल में एक High Rated Research Paper, एक अच्छी किताब हो, एक प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री एक उत्पाद हो सकती है। विषय वस्तु विशेषज्ञ के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पर अनुकूल टिप्पणी का यही उत्पाद आधार होगा।

31. कृषि विज्ञान केन्द्र में संचालित योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों में भी सभी विषय वस्तु विशेषज्ञ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

32. विगत 05 वर्षों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं की उपलब्धि/प्रभाव का विहित प्रारूप में संकलन करके यथासमय प्रसार शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने में सभी विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा केन्द्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान को सहयोग दिया जाय।

33. सभी विषय वस्तु विशेषज्ञ अपनी दैनदिनी डायरी अवश्य संधारण करे तथा वरीय पदाधिकारियों के पहुँचने पर उसे दिखाये।

सभी को साधुवाद प्रदान करते हुये माननीय कुलपति महोदय ने मार्गदर्शन सम्पूर्ण किया।

[signature] 20/3/24

निदेशक प्रसार शिक्षा

दिनांक: 20.03.2024

ज्ञापांक : 70(A)/प्र.शि.नि./बि.कृ.वि., सबौर/ 3425

प्रतिलिपि

- सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवई प्रेषित।
- वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र (सभी) सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवई हेतु प्रेषित एवं उपरोक्त बिन्दुओं का प्रत्येक माह अनुश्रवण करना सुनिशचित करे।
- उप निदेशक प्रशिक्षण/सह निदेशक प्रसार शिक्षा, बि.कृ.वि.,सबौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक /सभी अधिष्ठाता/कुलसचिव/ नियंत्रक बि.कृ.वि.,सबौर को सूचनार्थ प्रेषित।
- निदेशक अटारी पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

[signature] 20/3/24

निदेशक प्रसार शिक्षा

कुलपति, बि.कृ.वि.,सबौर के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।